

प्रेस नोट
दिनांक 02.07.2024, थाना को0 देहात
जनपद गोण्डा।

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा महिला के साथ अश्लील हरकत करने व उसके साथ मारपीट करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-265/24, धारा 498ए,354,506,376,323,504,494,120बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कौशल तिवारी पुत्र चन्द्रशेखर तिवारी निवासी मधईजोत, पोस्ट सगम विशुनपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को पण्डरी बल्लभ मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.06.2024 को थाना को0 देहात में पीड़िता द्वारा तहरीर दी गयी कि उसके साथ उसके ससुरालजनों द्वारा अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ मारपीट की गयी है। पीड़िता की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए आरोपी अभियुक्त कौशल तिवारी पुत्र चन्द्रशेखर तिवारी निवासी मधईजोत, पोस्ट सगम विशुनपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को आज दिनांक 02.07.2024 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा पण्डरी बल्लभ मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कौशल तिवारी पुत्र चन्द्रशेखर तिवारी निवासी मधईजोत, पोस्ट सगम विशुनपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-265/24, धारा 498ए, 354, 506, 376, 323, 504, 494, 120बी भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र
02. का0 दीपक कुमार
03. का0 संदीप कुमार प्रजापति

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.07.2024, थाना को0तरबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 900 ग्राम गांजा) के साथ अभियुक्त अमित कुमार चौबे उर्फ चिन्टू चौबे पुत्र फागू चौबे निवासी चौबेपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को विपिन विहारी डिग्री कालेज के पास खेत से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना को0तरबगंज में मु0अ0स0- 320/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.07.2024 को थाना को0तरबगंज के उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में खाना थे कि विपिन बिहारी डिग्री कालेज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 900 ग्राम गांजा) बरामद कर अभियुक्त अमित कुमार चौबे उर्फ चिन्टू चौबे पुत्र फागू चौबे निवासी चौबेपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना को0तरबगंज में मु0अ0स0- 320/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमित कुमार चौबे उर्फ चिन्टू चौबे पुत्र फागू चौबे निवासी चौबेपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 320/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 किलो 900 ग्राम गांजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय
02. हे0का0 अजय सिंह
03. का0 सभाजीत सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.07.2024, थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 196/2024, धारा 376(2)/N, 509, 504, 506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त अशोक यादव पुत्र ननकऊ यादव निवासी ग्राम धुसवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को दुल्लापुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना नवाबगंज पर सूचना दिया कि विपक्षी अशोक यादव पुत्र ननकऊ यादव निवासी ग्राम धुसवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया गया है। तथा उसका अश्लिल वीडियो बनाकर धमकी देता है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0- 196/2024, धारा 376(2)/N, 509, 504, 506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट व 67 आईटी एक्ट बनाम अभियुक्त अशोक यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 02.06.2024 को थाना नवाबगंज की पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त अशोक यादव पुत्र ननकऊ यादव निवासी ग्राम धुसवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज पुलिस के द्वारा दुल्लापुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. अशोक यादव पुत्र ननकऊ यादव निवासी ग्राम धुसवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 196/2024, धारा 376(2)/N, 509, 504, 506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 जयनाथ यादव
02. का0 रविकेश यादव
03. का0 अतुल कुमार सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.07.2024, मानिट्रिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष का कारावास व रूपये 15,000/- अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विकशन’ जिसकी मॉनीट्रिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी लालमनि तिवारी उर्फ किशन तिवारी पुत्र राधिका प्रसाद, निवासी ग्राम तिलहरवा, मौजा खजुरी थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा को 05 वर्ष का कारावास व रु0 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने के आरोप में अभियुक्त 01. लालमनि तिवारी उर्फ किशन तिवारी पुत्र राधिका प्रसाद, निवासी ग्राम तिलहरवा, मौजा खजुरी थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिट्रिंग सेल श्री श्रीधर पाठक व थाना मोतीगंज के पैरोकार, कोर्ट मोहर्रि द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्री नम्रता अग्रवाल महोदया द्वारा अभियुक्त लालमनि तिवारी उर्फ किशन तिवारी को 05 वर्ष का कारावास व 15,000/-रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. लालमनि तिवारी उर्फ किशन तिवारी पुत्र राधिका प्रसाद, निवासी ग्राम तिलहरवा, मौजा खजुरी थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-100/2023, धारा 354 भादवि व 5m/6 पोक्सो एक्ट थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।